

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-83/2024 दिनांक 23.03.2024)
दिनांक-23.03.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना तुर्कपट्टी क्षेत्रान्तर्गत एक महिला की हुई हत्या का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण, घटना में सम्मिलित 03 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 87/24 धारा 302 भादवि से संबंधित अभियोग में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 22.03.2024 को एक महिला की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा घटना को तत्काल संज्ञान लेकर, पुलिस टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना तुर्कपट्टी, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा खरदर पुल के पास से 24 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण कर घटना में सम्मिलित 03 शातिर अभियुक्तों 1-गुड्डु चौहान पुत्र शिवसरन सा0 श्रीपतखाड़ टोला दमवतिया थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर, 2-विश्वजीत चौहान उर्फ गांधी पुत्र मलिक प्रसाद सा0 रुदवलिया थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर, 3-संदीप चौहान पुत्र राजेश चौहान सा0 रुदवलिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

अपराध का तरिका-

अभियुक्त गुड्डु का मृतका पंकी से अवैध सम्बन्ध था। दिनांक 21.03.24 को मृतका को गुड्डु बुला कर ले गया था तथा मृतका से कहने लगा कि तुम्हारा मेरे सिवाय किसी और से भी सम्बन्ध है, इसी बात को लेकर मृतका से कहा सुनी होने लगी जिस पर मृतका शोर मचाने लगी। इस वजह से अभियुक्त गुड्डु ने अपने अन्य सहयोगी विश्वजीत व संदीप के साथ मिलकर मृतका का गला दबा कर हत्या कर दिया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 87/24 धारा 302 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-गुड्डु चौहान पुत्र शिवसरन सा0 श्रीपतखाड़ टोला दमवतिया थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
- 2-विश्वजीत चौहान उर्फ गांधी पुत्र मलिक प्रसाद सा0 रुदवलिया थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
- 3-संदीप चौहान पुत्र राजेश चौहान सा0 रुदवलिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

- 1-पीडिता का एक अदद मोबाइल फोन (अभियुक्त के पास से)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
उ0नि0 आलोक यादव प्रभारी स्वाट कुशीनगर.
उ0नि0 शरद भरती प्रभारी सर्विलांस कुशीनगर मय टीम
उ0नि0 रणविजय सिंह थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
उ0नि0 अशोक शुक्ला थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
हे0का0 सन्तोष यादव स्वाट टीम कुशीनगर
हे0का0रणजीत यादव स्वाट टीम कुशीनगर
हे0का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम कुशीनगर
हे0का0 राहुल सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
हे0का0 संदीप भाष्कर स्वाट टीम कुशीनगर
हे0का0 विजय बहादुर यादव थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
का0 ऋषी पटेल स्वाट टीम कुशीनगर
का0 शम्भू सिंह थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
का0 राजेश गुप्ता थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
का0 योगेश यादव थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर

थाना चौराखास पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना चौराखास पुलिस टीम द्वारा भानपुर पुलिस के पास से मु0अ0सं0 50/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त आजाद अंसारी पुत्र सलाकत

अंसारी सा0 इन्दिरा बाजार बाढू चौराहा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 50/2024 धारा- 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-आजाद अंसारी पुत्र सलाकत अंसारी सा0 इन्दिरा बाजार बाढू चौराहा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभूषण प्रजापति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

2-व0उ0नि0 वेद प्रकाश सिंह थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

3-उ0नि0 जितेन्द्र नाथ सिंह थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

4-उ0नि0 आकाश कुमार ग्वाल थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

5-प्रशिक्षु उ0नि0 प्रशान्त स्वरूप राय थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

6-हे0का0 प्रेमनरायन वर्मा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

7-का0 उमेश चन्द थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना जटहां बाजार पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना जटहां बाजार पुलिस टीम द्वारा मु0न0 1063/11 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी अभियुक्त मोतीलाल चौहान पुत्र बदरी सा0 जुड़वनिया थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0न0 1063/11 धारा 323/504/506 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोतीलाल चौहान पुत्र बदरी सा0 जुड़वनिया थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर



गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 देवव्रत यादव थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर
- 2.का0 विनय कुमार थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर
- 3.का0 इकरामुद्दीन खान थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा गौ-तस्करी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जाने के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा गोपालपुर बाजार तिराहा के पास से गो-वध व पशु क्रूरता के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 89/2024 धारा 3/5ए/8 गो वध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

असरफ अंसारी पुत्र मीर हसन अंसारी निवासी ग्राम जवही नरेन्द्र थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2-व0उ0नि0 श्यामलाल निषाद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3-का0 अतीश कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा 02 पेटी अवैध देशी शराब व 01 अदद अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध व अपराधियों तथा अवैध शराब की बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.03.2024 को थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा बहदग्राम नैनहा खलवा टोला के पास से अभियुक्त राजेश यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी नैनहा खलवा टोला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा

02 पेटी देशी शराब बंटी बबली बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 121/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 60 आब0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 121/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 60 आब0 एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेश यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी नैनहा खलवा टोला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

01- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर


02- 02 पेटी देशी शराब बंटी बबली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री रामसहाय चौहान थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 अजय कुमार सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
3. का0 सोनू साह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
4. का0 सुशील कुमार थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा 10 पेटी अंग्रेजी फ्रुटी (पाउच) शराब व 02 अदद मोटर साईकिल वाहन (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये) के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को निरीक्षक श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पडरौना मय कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा मिश्रौली नहर पुलिया के पास से एक मोटरसाईकिल BR22BE3739 हिरो आई स्मार्ट से कुल 10 पेटी में कुल 480 फ्रुटी (पाउच) प्रत्येक 180 ml 8 पीएम अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर मौके से 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 167/2024 धारा 60/72 आबकारी अधि0 ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-उमेश यादव पुत्र महेश यादव ग्राम रतवल थाना चौतरवा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार

2-कमलेश यादव पुत्र स्व0 राघु यादव ग्राम चौतरवा सिहरौना थाना भैरवगंज जिला पश्चिमी चंपारण बिहार

बरामदगी का विवरण:—

1-10 पेटी में कुल 480 फ्रुटी(पाउच) प्रत्येक 180 ml 8 पीएम (कीमत लगभग 55,000/- रु0)

2-मोटरसाईकिल BR22W4821 हिरो आई स्मार्ट (कीमत लगभग 50,000/- रु0)

3-बजाज प्लेटिना BR22BE3739 (कीमत लगभग 50,000/- रु0)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री सुशील कुमार शुक्ला थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

2.उ0नि0 श्री विवेक पाण्डेय थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर

3. का0 राजीव कुमार यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।

4. का0 देवीदीन सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।

5. का0 विरेन्द्र विक्रम सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।

6. का0 पंकज सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर ।

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 03 पेटी अवैध देशी शराब व एक अदद मोटर साईकिल (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 49 हजार रुपये) के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा पिपराघाट देवनरायन टोला मोड़ के पास से अभियुक्त शशि मोहन तिवारी पुत्र स्व0 छट्टू तिवारी साकिन ठकरहा थाना ठकरहा जिला प0 चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 पेटी (135 पाउच) अवैध देशी शराब बन्टी बबली फ्रुटी कुल 27 लीटर (कीमत लगभग 9000/- रु0) व मो0सा0 हीरो स्प्लेन्डर प्लस रंग काली रजि0 नं0 UP57 J 3391 (कीमत लगभग 40 हजार रुपये) बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/2024

धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 104/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त-

शशि मोहन तिवारी पुत्र स्व0 छट्टू तिवारी साकिन ठकरहा थाना ठकरहा जिला प0 चम्पारण बिहार

विवरण बरामदगी—

01- 03 पेटी (135 पाउच) अवैध देशी शराब बन्टी बबली फ्रुटी कुल 27 लीटर (कीमत लगभग 9000/- रू0)

02- मो0सा0 हीरो स्प्लेन्डर प्लस रंग काली रजि0 नं0 UP57 J 3391 (कीमत लगभग 40 हजार रूपये)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1- प्रभारी निरीक्षक श्री दिग्विजय नरायन राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

2- व0उ0नि0 राजेंद्र सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

3- उ0नि0 सुजीत कुमार प्रभारी पुलिस चौकी पिपराघाट थाना सेवरही कुशीनगर

4- का0 ऊधम सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

5- का0 संजय यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

6- का0 अनुज सरोज थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को पशु तस्करी गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 01. मनोज कुमार यादव पुत्र स्व0 सुनेसर यादव साकिन मठिया सहदुल्लेपुर थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार, 02. अवधेश कुशवाहा पुत्र गंगा कुशवाहा साकिन कोईलसवा बई टोला उर्फ कोटवा मिश्र थाना बघौचघाट जनपद देवरिया, 03. गंगा कुशवाहा पुत्र सूर्यबली साकिन कोईलसवा बई टोला उर्फ कोटमा मिश्र थाना बघौचघाट

जनपद देवरिया, 04.अजय कुमार यादव पुत्र सुनेश्वर यादव साकिन सहदुल्लेपुर मठिया थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार के विरुद्ध थाना पटहेरवा द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशुओं को उत्तर-प्रदेश/ बिहार राज्य में ले जाकर गोकशी कर अधिक रूपसे अर्जित कर अपना जीवन यापन करते हैं। गैंग के सदस्य दिनांक-12.12.2023 को दो बलेरो पिकप रजि0 नं0 UP 52 AT 9602 व BR 28 L 8883 में कुल 9 राशि गोवंशीय पशु लाद कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 09 राशि गोवंशीय पशु बरामद किया गया था जिसके संम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0-322/2023 धारा- 3/5A/8/5B गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0 78/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा अलग अलग मामलों के 02 नफर वारन्टी को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना रामकोला पुलिस द्वारा अलग अलग मामलों के 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0नं0 5157/14 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. मु0नं0 2558/09 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार वारन्टीगण-

1. मुन्ना पुत्र रामनाथ उर्फ नाटा साकिन खीट्टी टोला खुटा मैना थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

2. रामआसरे पुत्र सुखराज साकिन राजपुर सेमरा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. प्र0नि0 श्री विनय कुमार सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 विकास मौर्य थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
03. व0उ0नि0 सुबाष चन्द्र थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 04 उ0नि0 आकाश सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
05. हे0का0 अमित सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
06. हे0का0 हे0का0 कमलेश यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
07. का0 मिथिलेश सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में एक अदद अवैध चाकू के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा कोटवा बाजार के पास से मु0अ0सं0 139/24 धारा 307/504/506 भादवि 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजू प्रजापति पुत्र ब्रह्मा प्रजपित साकिन विशुनपुरा खुर्द थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध चाकू की बरामदगी किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 139/24 धारा 307 भादवि तथा बढ़ोत्तरी धारा 504/506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजू प्रजापति पुत्र ब्रह्मा प्रजपित साकिन विशुनपुरा खुर्द थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

***बरामदगी का विवरण – ***

एक अदद अवैध चाकू



Edit with WPS Office

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-प्र०नि० श्री हर्षवर्धन सिंह थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
- 2-उ०नि० अमित कुमार थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
- 3-का० नवनीत कुमार थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा 60 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 600 ग्राम यूरिया व 400 ग्राम नौसादर के साथ एक पुरुष व एक महिला को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा बिहार खुर्द के पास से 60 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 600 ग्राम यूरिया व 400 ग्राम नौसादर बरामद कर मौके से एक पुरुष व एक महिला को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 73/2024 धारा 60(1) आब० अधि० व 272 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

. मु०अ०सं० 73/2024 धारा 60(1) आब० अधि० व 272 भादवि थाना तमकुहीराज कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. नन्द किशोर पुत्र स्व० नवमी पासवान ग्राम बिहार खुर्द थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
02. एक महिला

अभियुक्त नन्द किशोर का आपराधिक इतिहास-

1. 009/2017 धारा 60 आब० अधि० थाना पटहेरवा कुशीनगर
2. 529/2017 धारा 60 आब० अधि० थाना पटहेरवा कुशीनगर
3. 368/2018 धारा 60 आब० अधि० थाना पटहेरवा कुशीनगर
4. 83/2019 धारा 60 आब० अधि० थाना पटहेरवा कुशीनगर

महिला अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

249/2022 धारा 323/325/504/506 भादवि० पटहेरवा कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

60 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 600 ग्राम यूरिया व 400 ग्राम



नौसादर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना तमकुहीराज कुशीनगर
2. उ0नि0 राहुल कुमार सिंह थाना तमकुहीराज कुशीनगर
3. का0 उमाशंकर कुमार थाना तमकुहीराज कुशीनगर
4. का0 शैलेश चौहान थाना तमकुहीराज कुशीनगर
5. का0 रविकान्त थाना तमकुहीराज कुशीनगर
6. का0 रजनीकान्त थाना तमकुहीराज कुशीनगर
7. म0का0 शालू गुप्ता थाना तमकुहीराज कुशीनगर
8. म0का0 सुमन गुप्ता थाना तमकुहीराज कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 63 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 00 वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-158, व्यक्ति-1540
- 3- अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही-(06)
- 4- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(09)
- 5- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-78)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

